

उत्तराखण्ड ने पतंजलि उत्पादों का लाइसेंस नलिंबति कथिा

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड सरकार ने योग गुरु रामदेव की दवा कंपनियों द्वारा बनाए गए 14 उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार-बार भ्रामक वजिज्ञापन प्रकाशति करने के लयि उनके वनिरिमाण लाइसेंस नलिंबति कर दयि हैं ।

मुख्य बदि:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के सप्तार्हों में अपनी कुछ पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक वजिज्ञापनों को रोकने हेतु चल रहे मुकदमे में अपने नरिदेशों का पालन नहीं करने के लयि रामदेव की बार-बार आलोचना की है ।
- जनि 14 उत्पादों के लाइसेंस नलिंबति कयि गए, उनमें असथमा, बर्काइटसि और मधुमेह की पारंपरिक दवाएँ शामिल थीं ।
- सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला इंडयिन मेडिकल एसोसिएशन के उन आरोपों से संबंघति है जसिमें कहा गया है कपितंजलि पारंपरिक दवाओं की उपेक्षा करती है और न्यायालय के नरिदेश के बावजूद भ्रामक वजिज्ञापन जारी करती है ।
- पतंजलि के वजिज्ञापनों ने औषधि और चमत्कारिक उपचार अधनियिम, 1954 (DOMA) तथा उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम, 2019 (CPA) का उल्लंघन कयिा ।
- औषधि और चमत्कारिक उपचार अधनियिम, 1954, औषधि वजिज्ञापनों को नरिंतरति करता है तथा कुछ चमत्कारिक उपचारों के प्रोत्साहन पर प्रतबिंध लगाता है ।
 - यह अधनियिम में सूचीबद्ध वशिषिट व्याधियों के लयि औषधियों के उपयोग का प्रोत्साहन करने वाले और औषधि की प्रकृति अथवा प्रभावशीलता का अनुचति प्रतनिधितिव करने वाले वजिज्ञापनों को प्रतबिंधति करता है ।
 - इसके अतरिकित्त यह उन्हीं व्याधियों के उपचार का दावा करने वाले चमत्कारिक उपचारों के वजिज्ञापन पर रोक लगाता है ।
- CPA की धारा 89 झूठे या भ्रामक वजिज्ञापनों के लयि कठोर दंड लगाती है ।
 - इसमें कहा गया है ककि कोई भी नरिमाता या सेवा प्रदाता जो कसिी गलत या भ्रामक वजिज्ञापन का कारण बनता है, जो उपभोक्ताओं के हति के लयि हानिकारक है, उसे दो वर्ष की अवधि के लयि कारावास की सज़ा दी जाएगी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकता है और प्रत्येक उत्तरोत्तर अपराध के लयि पाँच वर्ष की अवधि के लयि कारावास की सज़ा दी जाएगी ।